JALAUN POLICE

दिनांक – 27.02.2025

साइबर क्राइम थाना जालौन द्वारा फर्जी एफआईआर व अरेस्ट करने के नाम पर फ्राड हुयी धनराशि वापस कराकर शिकायतकर्ता के चेहरे पर लौटाई मुस्कान ।

श्री सेख अफजल पुत्र सेख रफीक नि0 हरदोई गुर्जर की कुल धनराशि 17,500 /- रूपये की फर्जी एफआईआर व अरेस्ट करने के नाम पर फ्राड हुयी धनराशि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था।

साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम जनपद जालौन द्वारा जनपद में ऑनलाइन धोखाधड़ी व साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट का अवलोकन व तकनीकी विश्लेषण कर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करते हुये विभिन्न वित्तीय एर्जेसियो/बैंको/वालेट आदि से सम्पर्क कर, उपरोक्त शिकायतकर्ता की धनराशि वापस कराने में सफलता प्राप्त की।

अतः शिकायतकर्ता की फ्राड हुयी धनराशि उनके खाते में वापस होने पर शिकायतकर्ता द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक व साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामदगी का विवरण-

क्र0 सं0	नाम, पता वादी	फ्राड हुयी धनराशि	वापसी धनराशि
1	श्री सेख अफजल पुत्र सेख रफीक	17,500 /- रूपये	17,500/-रूपये

कुल बरामद धनराशि- 17,500 /- रूपये (सत्रह हजार पांच सौ रूपये)

बरामद करने वाली टीम –

1. प्रभारी साइबर क्राइम थाना मय टीम जनपद जालौन।